"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 223] रायपुर, सोमवार, दिनांक 4 जुलाई 2011—आषाढ़ 13, शक 1933

राजभवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 4 जुलाई 2011

अधिसूचना

क्रमांक एफ. 1-1/2011/रास/यू-2.—इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम 1987 की धारा-14 (2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं शेखर दत्त, कुलाधिपति, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर निम्नांकित व्यक्तियों की एक समिति उक्त विश्वविद्यालय के कुलपति पद पर नियुक्ति के लिए कम से कम तीन व्यक्तियों का पैनल अनुशंसित करने के लिए गठित करता हूं.

1. श्री पी. जॉय उम्मेन,
   मुख्य सचिव,
   छत्तीसगढ़ शासन,
   मंत्रालय, रायपुर. — कुलाधिपति द्वारा मनोनीत

2. डॉ. दिनेश कुमार मारोठिया,
   कृषि वैज्ञानिक,
   इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय,
   रायपुर. — राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट

3.	डॉ. पी. एल. गौतम, चेयरपर्सन, प्रोक्टेशन ऑफ प्लॉट वैरायटीज एण्ड फारमर्स राइट्स अथार्टी, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार.	इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय प्रबंध मंडल द्वारा निर्वाचित

2. और, यह कि श्री पी. जॉय.उम्मेन, को मैं समिति का अध्यक्ष नियुक्त करता हूं.

3. यह समिति, अधिसूचना प्रसारित होने की तिथि से छ: सप्ताह की अवधि में उक्त पैनल प्रस्तुंत करेगी.

(शेखर दत्त)
कुलपति,
इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर.

संचालक, मुद्रण लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.